

Date: December 24, 2025

To,	To,
National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited ("BSE")
("NSE")	Listing Department
Listing Department	Corporate Relationship Department
Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla	Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Complex Bandra [E], Mumbai – 400051	Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
NSE Scrip Symbol: AWFIS	BSE Scrip Code: 544181
ISIN: INE108V01019	ISIN: INE108V01019

SUBJECT: Newspaper publication - Notice of postal ballot and remote e-voting

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to provision of Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we herewith enclose the copy(ies) of intimation published by the Company, regarding dispatch of postal ballot notice through electronic mode, details of remote e-voting facility and other related information in the following newspapers:

Business Standard (all editions in English) on December 24, 2025 Business Standard (Delhi edition in Hindi) on December 24, 2025

You are requested to kindly take the above information on record

Thanking You,

For Awfis Space Solutions Limited

Amit Ramani Chairman and Managing Director DIN- 00549918

Add: C-28 and 29 Kissan Bhawan Qutub Institutional Area New Delhi 110016

Encl: As above

Corporate and Regd. Office

Awfis Space Solutions Limited C-28-29, Kissan Bhawan, Qutab Institutional Area, New Delhi – 110016 www.awfis.com | Email: info@awfis.com | Phone: 011- 69000657



Investors cheer merger of Ambuja, ACC, Orient

Analysts say move may simplify group structure, unlock synergies

NIKITA VASHISHT

New Delhi. 23 Decembe

Investors have put money in Ambuja Cements shares as the cement major has moved to consolidate its operations. The Adani Group company has proposed to merge its subsidiaries ACC and Orient Cement into the parent entity.


This is a step that analysts believe will simplify group structure, unlock synergies, and strengthen its competitive positioning. Ambuja Cements shares gained 4.3 per cent intraday, while those of Orient Cement and ACC soared 9.8 per cent and 1.4 per cent, respectively. The shares, however, pared gains to close in the range of -1.37 per cent to 4.18 per cent. By comparison, the BSE Sensex settled 0.05 per cent lower.

After the merger, analysts reckon that Ambuja Cements will emerge as one of the largest cement companies in India by capacity. This is in line with the company's strategic plan to increase cement production capacity from 107 million tonnes per annum (mtpa) to 155 mtpa by FY28. They highlight operational efficiencies, cost optimisation, and balance-sheet strengthening as key benefits of the move.

Motilal Oswal Financial Services Ltd (MOFSL), for instance, said the proposed amalgamation streamline Ambuja Cements' corporate structure and improve capital allocation. According to the brokerage, the merger will reduce complexity, eliminate cross-holdings, and enhance transparency for investors.

"The merger will enable more efficient allocation of capital and management, unlock scale benefits, and enhance long-term shareholder value. The merger will simplify and rationalise the network, branding, and sales promotion-related spending, helping print, particularly strengthening its umes and improved profitability.

Becoming a cement powerhouse



optimise costs and improve margin by ₹100 per tonne. Besides, the merger will facilitate achieving targeted cost, margin expansion, and growth metrics over the mediumto-long term," it said in a report.

Deal contours

According to the scheme of arrangement, Ambuja Cements will issue 328 equity shares (face value: ₹2 per share) for every 100 equity shares (face value: ₹10/shares) of ACC, and 33 equity shares (face value: ₹2/share) for every 100 equity shares (face value: ₹10/share) of Orient Cement.

While the deal values ACC at par with the current market price, it valued Orient Cement around 9 per cent premium to Monday's closing price. Besides, given the ongoing merger of Sanghi Industries and Penna Cement with Ambuja, 12 equity shares of Ambuja will be issued for every 100 equity shares of Sanghi Industries. Ambuja will also pay ₹321.5/share to the eligible shareholders of Penna Cement. The deal will lead to an equity dilution of around 12 per cent for Ambuja Cements, reducing the promoter group to 60.94 per cent from 67.65 per cent.

As the deal could help create a "pan-Indian cement power house," analysts believe the merger could strengthen Ambuja Cements' pricing power and bargaining position with suppliers and logistics partners, given the expanded scale of operations. The combined entity will have a wider geographic foot-

presence in central and southern India, where Orient Cement has meaningful exposure. It will also help in achieving the management's target of increasing clinker capacity from 73 million tonnes (mt) to 81 mt by FY27 and 96 MT by FY28. It would reduce total cost per tonne to₹4,000 by FY26, ₹3,800/tonne by FY27 and ₹3,600-3,650/tonne by FY28, the report said.

"At the current market price, we see the transaction as neutral (with a slight negative bias) for ACC investors, while mildly positive for Orient shareholders. Further, commercial operations were already running as a consolidated unit (ACC + Ambuja + Orient + Penna + Sanghi). Hence, we see this amalgamation having a neutral (with a positive bias) effect on our earnings estimates, said analysts at Emkay Global Financial Services.

They retain a target price of ₹650 and an 'add' rating. It maintained its 'sell' rating on ACC stock with a target of ₹1,600. Motilal Oswal, too, said the deal appears to be neutral for ACC, but positive for Ambuja Cements shareholders. It maintained its 'buy' rating on Ambuja with a share price target of ₹750.

JM Financial, too, maintained 'buy' on Ambuja with a target of ₹700 as it expects the company's consolidated blended earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (Ebitda)/tonne to increase from ₹795 in FY25 to ₹1,250 by FY28, amid higher vol-



NPS WITHDRAWAL NORMS

Greater fund access comes with onus to manage risk

SANJEEV SINHA

The National Pension System (NPS) has undergone wide-ranging reforms that alter how investors accumulate, access, and manage retirement savings. The changes introduce greater flexibility and control but also place the onus on investors to manage longevity and inflation risks.

Lump-sum withdrawal raised to 80 per cent

Non-government subscribers can now withdraw up to 80 per cent of their retirement corpus as a lump sum at the age of 60, compared with 60 per cent earlier. Sub-

scribers must use the remaining 20

per cent to purchase an annuity. "The revised rule enhances liquidity at retirement by allowing greater access to funds. It also offers increased flexibility by enabling subscribers to invest the additional 20 per cent in asset classes of their choice, which may deliver better returns than annuities," says Kurian Jose, chief executive officer, Tata Pension Management.

A higher lump-sum option, however, increases the risk of mismanagement. "Poor investment decisions, inflation, and

rising life expectancy can gradually erode savings," says Sanjiv Bajaj, joint chairman and managing director, Bajaj Capital.

At present, withdrawals of up to 60 per cent of the NPS corpus qualify for tax exemption under Section 10(12A) of the Income-Tax Act. "Unless the government amends the tax provisions, the additional 20 per cent withdrawal may attract tax at the subscriber's applicable tax slab rate," says Jose.

Annuity obligation trimmed to 20 per cent

The mandatory annuitisation requirement has been reduced from 40 per cent to 20 per cent.

"NPS subscribers are no longer compelled to lock away a large portion of their retirement corpus in an annuity that typically offers fixed but lower returns," says Jose.

Annuities, however, provide assured lifelong income. A lower annuitisation level could leave retirees with a smaller pension, which may fall short of meeting their basic expenses in later years.

Age limit extended to 85

Both government and non-government subscribers can now remain invested in NPS until the age of 85. The change

Dos and don'ts for subscribers

optimise returns

- Don't chase flexibility blindly, need discipline too
- Secure essential monthly income before trying to
- Think in decades, retirement is a 25-30-year journey
- Use advice: Cost of bad retirement decisions far outweighs cost of professional guidance Source: Bajaj Capital

aligns retirement planning with longer lifespans and extended working years. "Allowing NPS investments up to age 85 enables continued compounding, avoids forced exits at an arbitrary age, and helps retirees combat inflation over a longer period," says Bajaj.

As investors age, capital preservation becomes more critical. "Stay invested but progressively reduce risk. Beyond a point, the objective should shift from maximising returns to avoiding unpleasant surprises," adds Bajaj.

Five-year lock-in removed

The removal of the mandatory five-vear lock-in for non-government subscribers improves liquidity. However, early exits remain restrictive. "Exits before completing 15 years or before the age of 60 count as premature, requiring 80 per cent of the corpus to be annuitised, with only 20 per cent available as a lump sum. Use this option sparingly, as high compulsory annuitisation can severely limit access to capital and disrupt long-term wealth creation," says Abhishek Kumar, a Sebi-registered investment adviser and founder, SahaiMonev.com.

How systematic unit redemption works

Systematic Unit Redemption (SUR) allows subscribers to withdraw up to 80 per cent of their eligible lump sum in phases. The balance remains invested and earns market-linked returns.

"It offers potential capital appreciation, tax-deferred growth, and flexible income. But it carries market risk and does not guarantee that the corpus will last a lifetime. It suits investors with a higher risk appetite who seek inflation-beating income. Risk-averse retirees should avoid it," says Kumar.

SUR versus annuity

SUR offers flexibility and marketlinked growth, along with the ability to pass on any remaining balance to heirs. An annuity provides a fixed lifelong income at lower return levels.

"While annuities eliminate the risk of outliving savings, SUR exposes retirees to market volatility and the possibility of depleting the corpus early," says Kumar.

The writer is a New Delhi-based independent journalist

EPFO to fix EPS contribution errors: What it means for your pension

The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) has issued new guidelines to fix errors in the Employees' Pension Scheme (EPS), seeking to ensure accurate records and better service for

The EPFO had found that some employers had either

Read full report here: mybs.in/2esTsYY

wrongly deposited EPS contributions for ineligible employees or failed to remit contributions for eligible employees. The errors have delayed processing of pension claims. The new guidelines

provide a uniform corrective framework to address such discrepancies.

For employees incorrectly enrolled in EPS

Unexempted establishments: The incorrectly deposited amount, along with interest, will be transferred from the pension account (Account No. 10) to the provident fund account (Account No. 1). The corresponding pension service entries will be deleted from the member's record.

Exempted establishments: EPFO will transfer the amount with interest from Account No. 10 to the respective PF Trust, and the erroneous pension service will be removed from the member's account.

COMPILED BY AMIT KUMAR

ASSAM POWER GENERATION CORPORATION LIMITED

NOTICE INVITING TENDER

e-Tenders are invited from the intending contractors/firms/suppliers for execution of "Supply of 360 nos. of High Efficiency Cellulose Media Air Filter for GE/BHEL make Frame-5, 20 MW Gas Turbine Inlet Air Filter System of GT Unit at Lakwa Thermal Power Station (LTPS), APGCL" required in Assam Power Generation Corporation Limited under the Department of Power, Govt. of Assam, with an estimated amount of INR 12,95,317.00. An amount of INR 26,000.00 (Rupees Twenty-Six Thousand Only) is to be submitted as EMD/Bid Security. The Tender documents can be downloaded from www.assamtenders.gov.in from 24-12-2025 (10:00 hours).

- The last date of submission of tender document is 16-01-2026 (12:00 hours)
- The bids will be opened online on the e-procurement portal on 19-01-2026 (16:00 hours)

The TIA reserves the right to accept or reject any bid/tender, and to cancel/ annul the bidding process and reject all bids at any time prior 5

Name of the TIA: Chief General Manager (Gen), APGCL Address of the TIA: 3rd Floor Bijulee Bhawan, Paltanbazar, Guwahati-1 Sd/- Chief General Manager (Gen)

ADC India Communications Ltd. CIN: L32209KA1988PLC009313

Read, Off: No.10C, 2nd Phase, 1st Main, Peenva Industrial Area, Bangalore-560058 Tel:+91 80 2839 6102 / 2839 6291 E-mail: support@adckcl.com Website: www.adckcl.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, a Special Window has been opened for re-lodgement of transfer deeds that were lodged prior to April 01, 2019 and were rejected, returned or not attended to due to deficiencies in documents/process/or otherwise

The facility for re-lodgement of transfer deeds will be open till January 06, 2026. The securities that are re-lodged for transfer, if approved, will be issued only in demat

The concerned shareholders may re-lodge the necessary documents, within the above period, after rectification of deficiencies, with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32. Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 Email: einward.ris@kfintech.com: Toll Free No. 1800 409 4001

For ADC India Communications Ltd

Place : Bangalore Date: December 23, 2025

R.Ganesh Company Secretary 22, 2026.

December 24, 2025

Delhi, India



Kotak Mahindra Bank Limited CIN - L65110MH1985PLC038137

Registered Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

Tel: +91 22 6166 0001, Fax: +91 22 6713 2403 Website: www.kotak.bank.in Email: KotakBank.Secretarial@kotak.com

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Kotak Mahindra Bank Limited

We draw attention of the investors whose transfer requests of physical shares of Kotak Mahindra Bank Limited ("Bank"), which were lodged prior to April 1, 2019 rejected / returned / not attended to due to deficie

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, a special window has been opened by the Bank, from July 7, 2025 to January 6, 2026, to facilitate re-lodgement of such transfer requests

The concerned investors may, accordingly, re-lodge the transfer deeds and furnish necessary documents, duly complete in all respects, to the Bank's Registra and Transfer Agent, i.e., KFin Technologies Limited at Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 (Unit: Kotak Mahindra Bank Limited) to enable further processing and transfer of shares, if approved, in compliance with the requirements of applicable law

For KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

Mumbai, 23 December, 2025

AWFIS SPACE SOLUTIONS LIMITED

Corporate Identity Number: L74999DL2014PLC274236 Registered and Corporate Office: C-28-29, Kissan Bhawan, Qutab Institutional Area New Delhi - 110016, India. Website: www.awfis.com, Email: cs.corp@awfis.com, Telephone: +91 11 4106 1878

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110, and other applicable provisions of the Companies Act. 2013. as amended (the "Act"), read together with the Companies Management and Administration) Rules, 2014, as amended (the "Management Rules") Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 20/2020 dated June 15, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 20/2020 dated June 15, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 20/2020 dated June 15, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India isting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "LODR Regulations") and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the approval of members of Awfis Space Solutions Limited (the "Company") is sought for the following special resolution by way of remote

Particulars

Approval for sale and transfer of the Company's Design and Build Business (D&B Business/Undertaking) on slump sale basis to Awfis Transform Private Limited ("ATPL"), a Wholly Owned Subsidiary of the Company

Ballot Notice along with the explanatory statement on Tuesday, December 23, 2025, through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/depository participant(s) as on Friday, December 19, 2025 ("Cut-off Date"). The said Notice is also available on the website of the Company: www.awfis.com, the relevant section of the website of BSE Limited ("BSE"): www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE")

Pursuant to the MCA circulars, the Company has completed the dispatch of electronic copies of the Postal

www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") In accordance with the provisions of the MCA circulars, Members can vote only through e-voting process. The voting rights of the Members shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Company held by

them as on the Cut-off Date. Any person who is not a shareholder of the Company as on the Cut-off Date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for the

purpose of providing e-voting facility to all its Members. The e-voting facility will be available during the following period: Commencement of e-voting period Wednesday, December 24, 2025 at 09:00 a.m. (IST)

ı	Conclusion of e-voting period	Thursday, January 22, 2026 at 05:00 p.m. (IST)
ı	Cut-off date for eligibility to vote	Friday, December 19, 2025
	The e-voting facility will be disabled by N	NSDL immediately after 5.00 p.m. IST on Thursday, January

Members who have not updated their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held by them in electronic form with the Depository through their Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent Bigshare Services Private Limited either by email to Bssdelhi@bigshareonline.com or by post to Office No S6-2, 6th Floor,

The Board has appointed Mr. Rupinder Singh Bhatia, Practicing Company Secretary (FCS -2599 and CP No. 2514) Practicing Company Secretary, as scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093,

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting $user \, manual \, for \, Shareholders \, available \, at \, the \, download \, section \, of \, \underline{www.evoting.nsdl.com} \, or \, call: \, 022 - 4886 \, collapse. \, A support of a support$ 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.com.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any other person authorized by the Chairman after the completion of scrutiny of the e-voting, and the result will be announced within 48 hours from the conclusion of e-voting i.e. on or before 5.00 p.m. Indian Standard Time on **Thursday, January 22, 2026**, and will also be displayed on the Company's website (https://www.awfis.com/investors-relation) and on the website of NSDL (https://www.evoting.nsdl.com), and communicated to the stock exchanges, depository, registrar and share transfer agent.

For any queries or grievances pertaining to e-voting, shareholders are requested to contact Bigshare Services Private Limited either by email at bssdelhi@bigshareonline.com or by post at 302 Kusal Bazar, 32-33 Nehru Place, New Delhi-110053. Shareholders can also contact: Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, India, Contact details: evoting@nsdl.com Contact number- 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000

For Awfis Space Solutions Limited

Company Secretary and Compliance Officer

Shweta Gupta Membership No.- FCS 8573

MEGASOFT LIMITED

CIN: L24100TN1999PLC042730. Registered Office: #85, Kutchery Road, Mylapore, Chennai, India - 600 004.

Corporate Office: : 8th Floor, Unit No. 801B, Jain Sadguru Image's Capital Park, Plot No. 1, 28 & 29, 98/4/1 to 13, Image Gardens Rd, Madhapur, Hyderabad, Telangana - 500081. Email: investors@megasoft.com Website : www.megasoft.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS
OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July 2025, investors are informed that, a special window is opened only for re-lodgement of transfer deeds, lodged prior to 1st April 2019, and which were rejected/returned/not attended to, due to deficiency in the documents /process/or otherwise This facility of re-lodgement will be available from 7th July 2025 to 6th January 2026

Investors are requested to re-lodge such cases, after rectifying the deficiency identified earlier, with the company's Registrar and Share Transfer Agents viz. M/s. Cameo Corporate Services Limited, latest by 6th January 2026 at the following address:

Cameo Corporate Services Limited

"Subramanian Building" No.1, Club House Road Chennai – 600 002

Further, the shareholders are requested to updated their email id with the depositories NSDL & CDSL Bank Account details and KYC details

Date: December 23, 2025 Place: Hvderabad

For Megasoft Limited Thakur Vishal Singh

Company Secretary & Compliance Officer

TVS MOTOR COMPANY LIMITED TVS

Regd. Office: "Chaitanya", No.12, Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai – 600 006 Tel: 044 - 28332115 CIN: L35921TN1992PLC022845

Website: www.tvsmotor.com; E-mail: contactus@tvsmotor.com

NOTICE PURSUANT TO SECTION 110 OF THE

COMPANIES ACT, 2013 AND THE COMPANIES (MANAGEMENT AND ADMINISTRATION) RULES, 2014 **Dispatch of Postal Ballot Notice** Members are hereby informed that the Company has on 23rd December 2025, sent a Notice to the members pursuant

to Section 110 of the Companies Act, 2013 (the Act), in relation to the special resolution as contained in the Notice, in electronic mode to the members, whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository

The Company has offered e-Voting facility for voting in accordance with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) for this purpose. The Board of Directors of the Company have appointed M/s B Chandra & Associates, Practicing Company Secretaries, Chennai, as Scrutinizer for conducting the e-Voting process in a fair and transparent manner.

Members are therefore requested to carefully read the instructions for voting and to note the following:

No		
1	Statement on special business transacted by e-Voting	Approving the appointment of Ms Kalpana Unadkat, (DIN 02490816) as a Non-Executive Independent Director for a period of five (5) consecutive years.
2	Date of completion of dispatch of Notice	23.12.2025
3	Cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means	15.12.2025
4	Date of commencement of voting by electronic mode	24.12.2025 (9.00 a.m.) (IST)
5	Date of end of voting by electronic mode. Voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date .	22.01.2026 (5.00 p.m.) (IST)
6	Day, date and venue of declaration of results and the link of the website where such results will be displayed.	On or before Friday, the 23" January 2026 at the Company's registered office at "Chaitanya" No.12, Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai – 600 006 and Company's website viz., www.tvsmotor.com
7	Website details of the Company / Agency, where the Notice of Postal Ballot is displayed.	www.tvsmotor.com / www.evoting.nsdl.com
8	Contact details of the person responsible to address the grievances connected with e-Voting	Company: Mr K S Srinivasan, Company Secretary Email ID's: srinivasan.ks@tvsmotor.com Telephone No: 044-28332115 NSDL: Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL Email ID: evoting@nsdl.com Telephone Nos: 022-48867000 Frequently Asked Questions and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under downloads section.

Shareholders holding shares in electronic form and who have not updated their email details are requested to register / update the details in their demat account, as per the process advised by their Depository Participant.

> By Order of the Board For TVS Motor Company Limited Company Secretary























23rd December 2025







आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्याः: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्टीयल एरिया, जयपर-302020



कब्जा नोटिस जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** का प्राधिकत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्त्रियों का प्रतिभतिकरण एवं पनगंठन और प्रतिभति हित प्रवर्त अधिनियम 2002'' की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीच तालिका में उनके सामने दशाँए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशिय का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों वे ाहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानितयों को शिष्ट्या तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार

निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाइनेंस आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।			
ऋणी का नाम बारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि		बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
आशीष कुमार, शोभादेवी गुप्ता, छठीलाल प्रसाद खाता सं. 221202902789824	6 अगस्त 2025 ₹ 2491951/- 4 अगस्त 2025	सम्पत्ति नं-4/2437 पुराना नं एन-53, तीसरी मंजिल, छत अधिकार के साथ गली नं-15 बिहारी कॉलोनी, गांव चन्द्रावली अलियास शाहदरा दिल्ली	सांकेतिक कब्जा दिनांक 20 दिसम्बर
		(भारत)-110032 / क्षेत्रफल 48 4938 वर्ग मीटर	2025

स्थान : दिल्ली दिनांक : 24-12-2025

प्राधिकत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, बेबसाइट : www.pnbhousing. रू--- के कोरत कार्या प्राप्ता सामित हार्वामा फार्ड्स विधिटेड एव--१ए/१० पहली मंपिल सेक्टर-63 नीए

	ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता	ग्रांटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
	OOLO, I ILOO	स्वर्गीय श्री गौरव गौरव के सभी कानूनी वारिस और श्रीमती इंदु चौधरी पता:1— 2 मंजिल ए, प्लॉट नंबर—116, फ्लैट नंबर—जी2, सेक्टर—2, बैशाली, गाजियाबाद, जुत्तर	NA	सी / सी ए—204, 2, टावर—सी, सिटी अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर—जीएच—6,	22.12.2025	22.12.2025 तक रु.
		प्रदेश—201010. पता: 2 — सी / सीए—204, 2, टावर—सी सिटी		सिटी अपार्टमेंट, आदित्य वर्ल्ड सिटी, वेव सिटी एनएच—24, शाहपुर बमहेटा, परगना—दासना, तहसील		30,83,644.00 (रुपये तीस लाख
	नोएडा	जनार प्रति वेव सिटी के पास एनएच–24, शाहपुर बमहेटा, परगना–दासना, तहसील और जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–228125.		और जिला—गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—228125.		तिरासी हजार छह सौ चवालीस मात्र)
स्थान : सेक्टर–63 नोएडा, दिनांकित : 24-12-2025		Ţ	ग्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएन	बी हाउसिंग	फाइनैंस लिमिटेड	

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

दुसरा तल, जीएमटीटी भवन डी-7 सेक्टर 3 नोएडा (उ.प्र)201301

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिये) [नियम 8(1)]

जबिक, अधोहस्ताक्षरी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एव प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ की धारा १३(१२)के सहपठित नियम ३ के अंतर्गत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग में निम्न वर्णित दिनांक पर कर्जदार (रों)/गारंटरों को मांग सुचना जारी करते हुए कर्जदार(रों)/गारंटरों उक्त मांग सुचना में उल्लेखित रुपये उक्त सूचना की दिनांक से 60 दिन के भितर भूगतान करने को कहा गया।

कर्जदार/सह—कर्जदार/बंधककर्ता राशि का भगतान करने में विफल रहे हैं. कर्जदार/ बंधककर्ता सह—कर्जदार / बंधककर्ता सह तौर पर और आम जनता को एतदृद्वारा आम तौर पर सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के सहपठित तिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खातों के विरूद्ध वर्णित दिनाकों पर निम्न वर्णित संपत्ति पर **सांकेतिक कब्जा** प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार/बंधककर्ता,सह–कर्जदार/बंधककर्ता और सह–कर्जदार का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार /बंधककर्ता सह–कर्जदार /बंधककर्ता और सह–कर्जदारऔर आम जनता को एतददारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति वे साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन **उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक** को यहां निम्न वर्णित प्रत्येक खातों के वेरूद्ध देय राशि ब्याज और अन्य शुल्कों /प्रभारों के साथ वसूली तक के अधीन होगा।

कर्जदार /सह–कर्जदार/ बंधककर्ता का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक	मांग सूचना अनुसार राशि
उधारकता(ओं):-(1) मनीष शर्मा	आवासीय मकान जिसका मापक क्षेत्र 60		22.12.2025	
पुत्र हरि किशन शर्मा निवासीए–372	वर्ग गज यानी 50.16 वर्ग मीटर, खरा सं. 1	071 में से, स्थित ग्राम	छपरौला परगना और	दि.18.09.2025 तक और उस पर
जाटवारा, गाजियाबाद, उत्तर	तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्त	ार प्रदेश का संपूर्ण व र	ार्वांगीण भाग। जिसका	ब्याज

प्रदेश—201001 (2) शिश शमा@ सीमांकन निम्न प्रकार:— सीमांकन: पूर्व : सरोज मिश्रा का मकान, पश्चिम: सत्येंद्र त्यागी शिश शर्मा पत्नी हरि किशन शर्मा, का मकान, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: अन्य संपत्ति। यह संपत्ति आप में से सं. 2 यानी शिश शर्मा शिश @शर्मा पत्नी ए–372 जाटवारा, गाजियाबाद, उत्तर <mark>हरिकशनशर्मा</mark> से संबंधित है। प्रदेश–201001 , ऋ**ण खाता सं**.

2347210050000009

दिनांक : 23.12.2025 स्थान : जिला गौतम बुद्ध मगर (उ.प्र.) प्राधिकृत अधिकारी

		()			
सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायर्नेशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना					
कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति(यों)	एन.पी.ए की	बकाया राशि		

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLNOD00293492 1. दीपक शर्मा 2. प्रिया शर्मा	फ्लैट नंबर एफएफ1, जिसका क्षेत्र 43 वर्ग मीटर है, छत के अधिकारों के बिना, पहली मंजिल पर (एम.आई.जी. टाइप) सामने दाहिनी तरफ, चार मंजिला इमारत में, प्लॉट नंबर 673 पर निर्मित, शक्ति खंड III, इंदिरापुरम में स्थित है, गाजियाबाद-201012, उत्तर प्रदेश।	09.12.2025	रू. 33,59,972.91/- (रूपए तैंतीस लाख उनसठ हजार नौ सौ बहत्तर और इक्यानवे पैसे मात्र) 15.12.2019 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HHLNOI00379325 1. सुभाष चंद निदेशक ओमनीफिक ग्लोबल कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड 2. संज्ञा सिंह 3. राम नारायण सिंह निदेशक ओमनीफिक ग्लोबल कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड 4. हेमन्त कुमार 5. ओमनीफिक ग्लोबल कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड निदेशकों के माध्यम से	फ्लैट नंबर टीएफ-1, जिसका सुपर कवर्ड क्षेत्र 52 वर्ग मीटर है, (एम.आई.जी) तीसरी मंजिल पर, छत के अधिकारों के साथ, सामने दाई तरफ, प्लॉट नंबर एम 100 में स्थित है, आवासीय कॉलोनी जी.एम.पी, ब्लॉक एम, सेक्टर- 12, प्रताप विहार गाजियाबाद- 201001, उत्तर प्रदेश।	04.12.2025	क. 31,27,526.60/- (कपए इकतीस लाख सत्ताईस हजार पांच सौ छब्बीस और साठ पैसे मात्र) 11.12.2025 के अनुसार
3.	कर्ज खाता क्र. HHLAGR00511972 1. रघुवीर सिंह 2. जगजीत कौर	पूरा मकान जो कि नगर निगम में पंजीकृत जिसका बेअरिंग नंबर 40/ए/ए डी/333ए है, जो प्लॉट नंबर 333 के एक हिस्से पर बना हुआ है, खसरा नंबर 444, 445, 455 और 456 पर स्थित है, और गितका क्षेत्र 108.50 वर्ग गज अर्थात 90.71 वर्ग मीटर है, जिसमें 120 वर्ग मीटर क्षेत्र कवर्ड है और माप पूर्व से पश्चिम तक 19 फीट 6 इंच और उत्तर से दक्षिण तक 50 फीट है, आकाशदीप महर्षिपुरम में स्थित है, मोजा ककरेठा तहसील और जिला आगरा।	04.12.2025	रू. 36,71,015.62/- (रूपए छत्तीस लाख इकहत्तर हजार पंद्रह और बास्तठ पेसे मात्र) 15.12.2025 के अनुसार
4.	कर्ज खाता क्र. HHLDPR00555605 / HHEDPR005556136 1. जय बोधरा प्रोपराइटर केएबी एंटरप्राइज 2. पूजा बोधरा प्रोपराइटर मेसर्स पूजा बोधरा 3. सरोज बोधरा (गारंटर)	पूरी तीसरी मंजिल, टेरेस/छत के अधिकारों के साथ, डीएलएफ फ्री होल्ड निर्मित संपत्ति नंबर डी-2, (ब्लॉक-डी, प्लॉट नंबर 2), क्षेत्र 150 वर्ग गज, यानी 125.41 वर्ग मीटर, 1350 वर्ग फीट है, प्लिंथ/कवर्ड क्षेत्र का माप 94.07 वर्ग मीटर है, सार्वजनिक क्षेत्र में हिस्सा, जिसमें 1/4 हिस्सा दक्षिण की ओर रिजर्व पार्किंग के लिए है, एंट्रेंस गेट के अंदर स्टिल्ट फ्लोर पर एक कार और दो पिह्या वाहन पार्किंग के लिए, भूमि पर अविभाजित, अविभाज्य, आनुपातिक स्वामित्व अधिकारों के साथ, ''कृष्णा नगर'' आबादी में स्थित है, डीएलएफ कॉलोनी, घोंडली गांव, इलाका, शाहदरा, नई दिल्ली-110051।	04.12.2025	रू. 92,01,366.29/- (रूपए बानवे लाख एक हजार तीन सौ िक्यासठ और उनतीस पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1 के विरुद्ध) और रू. 4,15,467.58/- (रूपए चार लाख पंद्रह हजार चार सौ सइसठ और अड्डावन पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 2 के विरुद्ध) कुल बकाया राशि रू. 96,16,833.87/- (रूपए छियानवे लाख सोलह हजार आठ सौ तैंतीस और सत्तासी पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1 और 2 के विरुद्ध) उत्ति स्वार्ध में से
5.	कर्ज खाता क्र. HHLGRG00497838/ HHEGRG00497839 1. शशि (सह-उधारकर्ता, स्वर्गीय राज सिंह की पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी)	सारा फ्लैट नंबर बी-203, दूसरी मंजिल पर, जिसका क्षेत्र लगभग 519.39 वर्ग फीट है, कारपेट खेत्र यानी 48.25 वर्ग मीटर है, और बालकनी क्षेत्र यदि कोई है 94.2 वर्ग फीट है, साथ में निर्धारित दोपहिया पार्किंग स्थल और सार्वजनिक क्षेत्र में आनुपातिक हिस्सेदारी, टावर 'बी' में, ''एचसीबीएस स्पोर्ट्स विले'' सेक्टर 2 और 35 सोहना में स्थित है, गुरुग्राम-122103, हिरयाणा।	08.08.2025	क. 20,70,348.47/- (रूपए बीस लाख सत्तर हजार तीन सौ अइतालीस और सैंतालीस पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1 के विरुद्ध) और क. 1,08,188.84/- (रूपए एक लाख आठ हजार एक सौ अड्डासी और चौरासी पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 2 के विरुद्ध) कुल बकाया राशि क. 21,78,537.31/- (रूपए डक्कीस लाख अठहतर हजार पांच

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार

लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित

स्थान : दिल्ली/गाज़ियाबाद/आगरा/गुरुग्राम

(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

सौ सैंतीस और इकतीस पैसे मात्र)

विरुद्ध) 12.12.2025 के अनुसार

प्राधिकत अधिकारी

कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **जॉय सिंघा रॉय और** दीपाली सिंघा रॉय को 16.09.2025 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNDA00453308 की राशि रू. 20,42,925.52 (रूपये बीस लाख बयालीस हज़ार नौ सौ पच्चीस और बावन पैसे मात्र)और 16.09.2025 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 22.12.2025 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

वेशोषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 20,42,925.52 (रूपये बीस लाख बयालीस हजार नौ सौ पन्नीस और बातन पैसे पान) 16 09 2025 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

रेजिडेंशियल फ्लैट नं. 699/जी-1, भूतल पर, एलआईजी (सामने दाहिनी हाथ की ओर), छत के अधिकार बिना, जिसका कवर्ड एरिया 41.805 स्क्वे.मीटर्स., यानी 450 स्क्वे. फीट., प्लॉट नं. 699 पर बना हुआ, रेजिडेंशियल कॉलोनी शालीमार गार्डन पर स्थित, एक्सटेंशन 1, गाँव पसोंडा, परगना लोनी तहसील और जिला साहिबाबाद, गाजियाबाद - 201010, उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमाएँ निम्ननसार परिबध्द हैं

पूर्व : कॉमन पैसेज और फ्लैट नं. जी-3 उत्तर : फ्लैट नं. जीएम 1

दक्षिण : कॉमन पैसेज और प्लॉट नं. 700 सही दिनांक : 22.12.2025 प्राधिकृत अधिकारी

सम्मान कैपिटल लिमिटेड स्थान : गाजियाबाद (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र पीठ /क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३ की उपधारा (४) और कम्पनी (निगमन) नियमावली २०१४ के नियम ३० के

जी जी मेडिकल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के विषय व जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या एस-१६ और १७/३, वृतीय तल, फ्रंट साइड ब्लॉक-एस, विजय विहार, उत्तम नगर, दिल्ली ११००५९ में स्थित है

रतद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी दिनांक ०३-१२-२०२५ (३ दिसंबर, २०२५) को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम. २०१३ की धारा १३ के तहत केंद्र सरकार (शक्ति क्षेत्रीय निदेशक को प्रतिनिधानित) को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है ताकि कम्पनी अपना पंजीकत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" मे

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकत कार्यालय व प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपनी आपत्तियां <mark>एमसीए-२१ पोर्टल (www.mca.gov.in) पर</mark> निवेशक शिकायत फॉर्म प्रस्तुत करके सिपुर्द कर सकता है अथवा अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार स्पष्ट करते हुए एक शपथपत्र द्वारा समर्थित करते हुए इस सचना के प्रकाशन की विशि से चौटह दिन के भीवर क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्रीरा पीठ / क्षेत्रीरा निटेशक उत्तरी क्षेत्र निटेशालरा ' बी-२ विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-११०००३ के कार्यालय में पहंचा सकत है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है, जिसकी एक प्रति कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए: प्लॉट संख्या एस-१६ और १७/३. ततीय तल. फ्रंट साइड ब्लॉक-एस. विजय विहार. उत्तम नगर. दिल्ली

कृते एवं हिते आवेदक 406 सी, नेहरू नगर अपार्टमेंट, पेट्रोल पम्प के समीप, नेहरू नगर. आगरा.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.

हापुड शाखा: नमः बाई इमानान्ते दिल्ली रोड ऑफिस नंबर 4, दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. A2, A2A, A4, A4A, A3, A3A एमआई, सीमा नगर पालिका, हापुड ग्राम चमरी, हापुड - 245 10 1 (उ.प्र.)

पश्चिम : 60 फीट चौड़ी सड़क

उत्तम नगर शाखा – तीसरी मंजिल, एस. एस. मोटर्स बिल्डिंग, 274 नावादा, उत्तम नगर, मेट्रो पिल्लर नं. - 715 के सामने, दिल्ली - 110059

आधिपत्य सुचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्यरीटाइजेशन एंड रिकस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपिटत धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभूगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ संपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभृतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण करे लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 09210000114 / हापुड़ शाखा) कपिल कुमार (ऋणी) पूजा रानी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, आवासीय प्लाट क्षेत्रफल 100 वर्ग यार्ड, वार्ड नंबर 1 स्थित, मोहल्ला अहाता बस्ती राम पश्चिम परगना एवं तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश - 245205 चर्तुसीमाएँ:- पूर्व - अनिल का प्लॉट, पश्चिम - लोकेश का प्लॉट, उत्तर - 6 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण - बाल्मीकि समाज की भूमि	09-06-2025 & ₹ 5,74,464/-	22-12-2025
2	(लोन कोड नं. 186 10000579 / उत्तम नगर शाखा) सोनू कुमार (ऋणी) मंजु पति अशोक कुमार (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्रथम मंजिल (एलएचएस भाग), पुराना प्लाट नं. 391 स्थित संपत्ति, नया नं. ए- 1/391, खसरा नं. 805, गली नं 22, ओम विहार, फेस- 1, ग्राम नावदा, उत्तम नगर, पश्चिम दिल्ली 110059 चर्तुसीमाएँ:- पूर्व- प्लॉट का भाग, पश्चिम-18 फीट चौडा रोड, उत्तर - प्लॉट का भाग / खुला प्लॉट, दक्षिण-मकान नं. 391/प्लॉट का भाग	12-05-2025 & ₹ 13,23,222/-	21-12-2025

स्थान : उत्तर प्रदेश प्राधिकृत अधिकारी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक: 24.12.2025

awfis

ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड

सीआईएन: L74999DL2014PLC274236

पंजीकृत और कॉपॉरेट कार्यालय: सी-28-29, किसान भवन, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016, भारत, वेबसाइट: www.awfis.com, ईमेल: cs.corp@awfis.com, टेलीफोन: +91 11 4106 1878

सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, २०१३, यथासंशोधित (''अधिनियम'') की धारा १०८ एवं ११० एवं अन्य लागू प्रावंधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, २०१४, यथासंशोधित (''प्रबंधन नियम'') भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक–२, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. १४/२०२० दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, २०/२०२० दिनांक ५ मई, २०२०, २२/२०२० दिनांक १५ जून, २०२०, ३३/२०२० दिनांक २८ सितम्बर, २०२०, ३९/२०२० दिनांक ३१ दिसम्बर, २०२०, १०/२०२१ दिनांक २३ जून, २०२१, २०/२०२१ दिनांक ८ दिसम्बर, २०२१, ३/२०२२ दिनांक ५ मई, २०२२, ११/२०२२ दिनांक २८ दिसम्बर, २०२२, ०९/२०२३ दिनांक २५ सितम्बर, २०२३ एवं ०९/२०२४ दिनांक १९ सितम्बर, २०२४ (''एमसीए परिपत्र''), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५, यथासंशोधित (''एलओडीआर विनियम'') के विनियम ४४ और अन्य लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों (वर्तमान में उस पर लागू कोई सांविधिक संशोधन या पुन: अधिर्नियमन सहित) के अनुसरण में रिमोट ई—वोटिंग (''ई—वोटिंग'') प्रक्रिया के माध्यम से निम्निलेखित विशेष प्रस्ताव के लिए ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की मंजरी मांगी गई है।

100	2 (4, 111) 4, (4, 41 4) 1-2(1111 14 6)				
क्र.सं.	विवरण				
٩	कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी , ऑफिस ट्रांसफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड (''एटीपीएल'') को स्लंप बिक्री				
	के आधार पर कंपनी के डिजाइन और बिल्ड बिजनेस (डी एंड बी बिजनेस/अंडरटेकिंग) की बिक्री और				
	ट्यूनांनगा। के लिए मंजूरी				

एमसीए परिपत्रों के अुसार, कंपनी ने मंगलवार, २३ दिसम्बर, २०२५ को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां भेजने का काम पूरा कर लिया है जिनके ईमेल पते शुक्रवार, १९ दिसम्बर, २०२५ (''कट–ऑफ तिथि'') को कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं।

कथित सूचना कंपनी की वेबसाइट <u>www.awfis.com</u>, बीएसई लिमिटेड (''बीएसई'') की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (''एनएसई'') की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर संगत सेक्शन और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध है। एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार सदस्य केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। सदस्यों के मतदान

अधिकार की गणना कट–ऑफ तिथि को उनके पास मौजूद कंपनी के इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कंपनी का शेयरधारक नहीं है डाक मतपत्र सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य मानेगा।

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाएं ली हैं। ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

ई–वोटिंग अवधि प्रारंभ	बुधवार, २४ दिसम्बर, २०२५ को प्रात: ९.०० बजे (भारतीय मानक समय)
ई-वोटिंग अवधि समाप्त	गुरुवार, २२ जनवरी, २०२६ को सायं: ५.०० बजे (भारतीय मानक समय)
मतदान की पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, १९ दिसम्बर, २०२५

ई-वोटिंग सुविधा **गुरुवार, २२ जनवरी, २०२६** को सायं ५.०० बजे आईएसटी के बाद एनएसडीएल द्वारा तुरंत हटा ली जाएगी। सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास और भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास लिखित में या तो ई–मेल <u>bssdelhi@bigshareonline.com</u> या डाक द्वारा कार्यालय नं एस६-२, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली गुफाएं रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०९३, महाराष्ट्र के पास इसे अपडेट कराएं।

बोर्ड ने ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए श्री रूपिंदर सिंह भाटिया, पेशेवर कंपनी सेक्रेटरी, एफसीएस: २५९९ और सीपी नंबर: २५१४) पेशेवर कंपनी सेक्रेटरी को संवीक्षक (''स्क्रूटिनाइज़र'') नियुक्त किया है। किसी भी पूछताछ के लिए आप <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रेश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हें या ०२२–४८८६ ७०००। एवं ०२२–२४९९ ७००० पर कॉल कर सकते हैं या <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ई–वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा और परिणाम ई–वोटिंग के समापन से ४८ घंटे के भीतर अर्थात् **गुरुवार, २२ जनवरी, २०२६** को सायं ५.०० बजे भारतीय मानक समय तक या उससे पहले घोषित किया जाएगा और इसे को कंपनी की वेबसाइट (https://www.awfis.com/investorsrelation) एवं एनएसडीएल की वेबसाइट (https://www.evoting.nsdl.com) पर भी प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को सूचित किया गया।

ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से या तो ई-मेल <u>bssdelhi@bigshareonline.com</u> पर या ३०२, कुसल बाजार, ३२-३३, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००५३ पर डाक द्वारा संपर्क करें। शेयरधारक निम्नलिखित से भी संपर्क कर सकते हैं: पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, चौथी मंजिल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३, भारत, संपर्क विवरण: <u>evoting@nsdl.com</u> संपर्क नंबर- ०२२-४८८६ ७००० और ०२२-२४९९ ७०००

कृते ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड

हस्ता./-श्वेता गुप्ता

दिनांक : 19.12.2025

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड

CIN: L72200DL1986PLC023955 पंजी. कार्यालय: 806, सिद्धार्थ 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 निगमित कार्यालयः ए−11, सेक्टर ३, नोएडा, २०१३०१ (उ.प्र.) Tel: + 91-120-2520977, 2526518/519

Email: cosec@hclinfosystems.com, Website: www.hclinfosystems.in

भौतिक शेयरों के ट्रांसफर अनुराधो की रि—लॉज के लिए विशेष विंडो

गरतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') परिपत्र नं. SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoDIP/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुपालन में, एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड के सभी शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के भौतिक शेयरों के ट्रांसफर अनुरोधों को रि—लॉज़ करने के लिए 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह माहुँ की अवधि के लिए विशेष विंडों खोली जो रही है। शेयरधारक ध्यान दें कि यह सुविधा केवल उन ट्रांसफर डीड के रि—लॉज के लिए उपलब्ध है जो भौतिक शेयरों के ट्रांसफर के लिए 01 अप्रैल, 2019 से पहले दायर किए गए हैं और दस्तावेज़ों में कमी / किसी अन्य कमी के कारण अस्वीकार, वापस कर दिए गए हैं या कार्यवाही नहीं की गई है। इस विशेष विंडो के दैरान, ट्रांसफर के लिए फिर से आए शेयरों को केवल डिमेट मोड में जारी किया जाएगा . और ट्रांसफर—सह–डिमेट के लिए देय प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी।

31 मार्च, 2021 की पूर्व अंतिम तिथि से चुकने वाले शेयरधारक कंपनी रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड को rta@alankit.com या 205–208, अनारकली कॉम्प्लैक्स झंडेवालान एक्सटेंश्न, नई को आवश्यक दस्तावेज तैयार कर इस अवसर का प्रयोग करें या किसी अन्य सहायता के लिए कंपनी के ई—मेल पते cosec@hclinfosystems.com पर कंपनी को लिखें। कृपया ध्यान दें कि 6 जनवरी, 2026 के बाद जमा किए जाने वाले ट्रांसफर अनुरोधों को कंपनी / आरटीए द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा अन्यथा सेबी द्वार कोर्डे विस्तार नहीं किया गया हो। यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://hclinfosystems.in/investors/ पर भी अपलोड की जाएगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड के लिए हस्ता. / — टिवंकल मोंगा कंपनी सचिव व अनुपालक अधिकारी सदस्यता सं. ए54882

स्थान : नोएड़ा दिनांक : 23 दिसंबर, 2025

परिशिष्ट IV-∆

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के नियमों को पढते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट. 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सचना

प्रामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ICIN : I 65922DI 2005PI C136029I (''सरक्षित लेनटार द्वारा'') द्वारा रचनात्मक कब्जा लिया जा चुका है, 13.01.2026 को शाम 05.00 बजे से 06.00 बजे तक '<mark>'जहां है'', ''जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'',</mark> की वसूली के लिए **ऋण खाता नं** HLAPAGR00184993 के लिए रु. 72,49,837/- (रुपए बहुत्तर लाख उनचास हजार आठ सौ **सैंतीस मात्र)** के लिए **18.12.2025** तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ 19.12.2025 से प्रभावी जो **श्री. राधा बल्लभ गोयल (प्रोपराइटर, ओम टेडर्स) और श्रीमती निधि गोयल** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य **रु. 40,00,000/- (रुपए चालीस लाख मात्र)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (''**ईएमडी'') रु. 4,00,000/- (रुपए चार लाख मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर होगा ।

अचल संपत्ति का वर्णन आवासीय परिसर बेअरिंग प्लॉट नंबर बी–109 / ए का हिस्सा. जिसका क्षेत्र 121.687 वर्ग मीटर है.

ताज नगरी योजना, फेज-II, सेक्टर-ए, ताज गंज वार्ड, आगरा, तहसील-सदर, उत्तर प्रदेश[,] 282007. जो निम्नानसार सीमाबद्ध है-उत्तर में : ई टाइप प्लॉट ए.डी.ए.

: 12 मीटर चौडी सड़क पश्चिम में : बी टाइप प्लॉट नंबर ए-110 ए.डी.ए. दक्षिण में 🕟 प्लॉट का बाकी भाग बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइव

यानी www.sammaancapital.com देखें ; संपर्क का नंबर : 0124-6910910, +91 7065451024 ई-मेल आईडी : auctionhelpline@sammaancapital.com। बोली लगाने के लिए /ww.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें

प्राधिकृत अधिकारी सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के



दिनांक : 18.12.2025

स्थान : आगरा

हिन्दुजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड शाखा कार्यातयः ए.के. टावर, दूसरी मंजित, 56 सुभाष रोड, अधिकृत अधिकारीः सुश्री अंशिका राणा सम्पर्क सं.: 87550576111;

विनीय सम्पत्तियों के प्रतिभतिक वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (सरफेसी अधि अधीन एचएचएफएल के पास प्रभारित अचल सम्पत्तियों की विक्री रचएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहरताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तह

एवरचएफएल के आवकृत आधकारों के रूप में अधाहरताक्षारों ने सर्रास्त्री आधानयम को धारों 13(4) के तहरू अनुसृद्धित संपत्ति पर कब्जा कर तिया है। बढ़े देमाने पर आग जनता को सुवित किया जाता है कि अपनी बकाय रकम की वसूति किया जाता है कि अपनी बकाय रकम की वसूति किया जाता है। जिला समझीते के माध्यम से अनुसूधी में उल्लेखित प्रत्यामृत संपत्ति 'जैसा है जहाँ हैं। और 'जैसा है जो हैं के आधार पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। निजी समझीते के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के मानक नियम और शर्ते निम्मानुसार हैं:

1. निजी समझीते के माध्यम से 'जैसा है जहाँ हैं और 'जैसा है जो हैं के आधार पर बिक्री की जाएगी।

2. केता को संपत्ति की खरीद के लिए एचएचएफएल के प्रस्ताव की स्वीकृति की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस के विक्री मुख्य का 25% और उसके बाद 15 दिनों के भीतर शेष पशि जमा करनी होंगी।

3. केता को अपने के आधार प्रस्ताति करका की 10% रकम कार्या करनी होंगी। जिसे उपलेक अनक्षेत्र (21) के

. केता को आवेदन के साथ प्रस्तावित रकम की 10% रकम जमा करनी होगी. जिसे उपरोक्त अनच्छेद (2) अनुसार जमा की गई 25% की शेष राशि के तहत समायोजित कर दिया जाएगा। 4. उपरोक्त अनुख्छेद (2) के तहत आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, पहले से भुगतान की ग्रस्का सहित आवेदन के साथ जमा की गई 10% राशि जब्त कर ली जाएगी।

एचएचएफएल द्वारा खरीद के प्रस्ताव स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भगतान की गई 10%

ारिष्ठ किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 6. संपत्ति एचएचएफएल को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के ऋणभारों के साथ बिक्री की जा रहें १.। अधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह । जिम्मेदार नहीं होगा। कता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी समझौता के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुअ

यथोचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता बाद की तारीख में इस संबंध में अधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदा खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

एचएचएफएल के पास बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिक

.कार ६। एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में, एचएचएफएल सर्वोच्च प्रस्ताव स्वीकार करेगी। 10. इच्छुक पार्टियां आगे के विवरण/स्पष्टीकरण तथा अपने आवेदन जमा करने के लिए अधिकत अधिकारी

गम्पर्क कर सकते हैं। क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्कों :

12. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनसार होगी।

अनुसूची सम्मतियाँ (प्रत्याभूत सम्मति) का विवरण ोइल्ला कृष्ण नगर गली सं. 12 ग्राम सलेमपुर राजपुतन (रूडकी नगर निगम की सीमा के भीतर), परगना गयानपुर, तहसील रूडकी जिला हरिद्वार-247667 में स्थित खसरा सं. 1522 के हिस्से से संबंधित पूर्व में 15

गवानपुर, तहसील रूडकी जिला हरिद्वार-247667 में खित खसरा स. 1522 क ाहरस स सबायत पूर्व न तिट पश्चिम में 15 फीट उत्तर में 34 फीट एवं दक्षिण में 34 फीट कुल क्षेत्रफल 510 वर्ग फीट अथवा 47.38 र्ग मीटर परिमाप के भूखंड पर निर्मित एक मकान, बीहरी निम्नामुसार: र्वः 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः आदेश का मकान, उत्तरः कपिल पाल की सम्पत्ति, दक्षिणः मोहित कुमार क , कर्जदार का विवरणः श्री नीतीश कुमार शण्डालिया।

ण सं. DL/RUK/ROKE/A000000233

आरक्षित मूल्यः रु. 7,10,728/- (रुपये सात लाख दस हजार सात सौ अड्डाईस मात्र) हिन्दुजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

स्थानः हरिद्वार, उत्तराखंड

(अचल संपत्ति हेत्)

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (एससीएल) (जिसे पहले इंडियाबुल्स हाउर्सिग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)(**आईएचएफएल)** सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 (2002 का 54) ("उक्त एक्ट") और नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 ("उक्त रूल्स") के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार, गारंटर और गिरवीकर्ता **विवेक कुमार और पूर्णिमा विश्वकर्मा** को कर्ज खाता नं. HHLLAJ00169406 के तहत दिनांक 17.11.2022 की सूचना में 31.10.2022 तक उल्लिखित राशि रू. 10,38,571.90 (रूपए दस लाख अड़तीस हज़ार पाँच सौ इकहत्तर और नब्बे पैसे मात्र) है जो उक्त सुविधा के संबंध में 01.11.2022 से भुगतान / वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और दंडात्मक ब्याज के साथ, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना

और जब कि बाद में, **एससीएल** के ट्रस्टी के रूप में दिनांक 30.09.2024 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से एससीएल द्वारा कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा देय और देय ऋणों के संबंध में सिक्योरिटी रिसिप्ट धारको के लाभ के लिए एआरसीआईएल-2025-007, ट्रस्ट ("एआरसीआईएल") के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए अपने सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज और लाभ अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को सौंप दिए हैं । इसलिए, उक्त असाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए, अ**ब एससीएल** के स्थान पर **एआरसीआईएल** को प्रतिस्थापित किया गया है और **एआरसीआईएल** कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के खिलाफ सभी और किसी भी कार्यवाही को शुरू करने / जारी रखने और वित्तीय दस्तावेजों के तहत अधिकारों और लाभों को लागू करने की हकदार होगी, जिसमें कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई उक्त सुविधाओं के लिए निष्पादित और बनाए गए सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है ।

एआरसीआईएल को उक्त धनराशि चुकता करने में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के विफल रहने पर एतद्द्वारा विशेषत: कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, **एआर सीआईएल** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19.12.2025 पर, नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्तियों पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषत: कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को निचे उल्लेखित सुरक्षित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और सुरक्षित संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन 03.07.2025 तक रू. 15,87,382.48 (रूपए पंद्रह लाख सतासी हज़ार तीन सौ बयासी और अड़तालीस पैसे मात्र) की राशि के उक्त सुविधा के संबंध में 04.07.2025 से भुगतान / वसूली तक सभी आकस्मिक लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ **एआरसीआईएल** के शुल्क के अधीन होगा

नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है ।

सुरक्षित संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. 1805, सुपर एरिया 1375 स्क्वेर फीट, अठारहवीं मंज़िल पर, ब्लॉक – जी 2, इको विलेज-2 से पहचाने जानेवाले प्रोजेक्ट में, प्लॉट नं.जीएच-01 पर बना हुआ, सेक्टर- 16 बी में स्थित, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर एडा – 201303, उत्तर प्रदेश।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

(एआरसीआईएल- 2025-007 ट्रस्ट के ट्रस्टी)

तिथि: २४ दिसम्बर, २०२५

स्थान: दिल्ली, भारत

सदस्यता सं. एफसीएस नं. ८५७३

उपनियम (५) के क्लॉज (ए) के विषय में

सचना

स्थानांतरित कर सके।

110059.

जी जी मेडिकल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड श्री अरिन्जय जैन, निदेशक, डीआईएन : 09551309 दिनांक : २४-१२-२०२५ स्थान : दिल्ली उत्तर प्रदेश-२८२००३

Aadhar